

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

उषा रानी,

पता-7/78 इन्द्रस्ट्रीयल कालोनी राधा रोड,
पानी की टंकी के सामने, सिविल लाइन्स,
जिला-रामपुर।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2078 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना, वायुसेना में किसी में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है एवं साक्षात्कार के समय सत्यापन पत्र पर यह अंकित किया है कि मैं भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ बल्कि आश्रित हूँ, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

भवदीय

7.6.18

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

पप्पी सिंह,

पुत्री स्व० सियाराम सिंह,
म०सं०-८६० भीखमपुर नयी बस्ती,
जिला-औरैया।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ २०७९ /२०१८-१९ दिनांक ०७.०८.२०१८

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम १९९३ की धारा-२(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना, वायुसेना में किसी में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है एवं साक्षात्कार के समय सत्यापन पत्र पर यह अंकित किया है कि मैं भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ बल्कि आश्रित हूँ, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-०२/२०११ प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत वर्ग-०१ पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-०२/२०११ प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतएव आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त किया जाता है।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

अर्चना शर्मा,
पता—नई तहसील, बिसौली,
जिला—बदायूँ।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ २०८० /2018-19 दिनांक ०७.०८. 2018

विषय:— भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना, वायुसेना में किसी में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है जबकि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं बल्कि आश्रित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

भवदीय

१-६/१६

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव,
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।

सेवा में,

वन्दना शुक्ला,
ग्राम-मडहा, पोस्ट-चन्दौर,
जिला-सुलतानपुर, उ०प्र०।

पत्रांक: मा०शि०च०बो०/ चयन/ 2081 /2018-19 दिनांक 07.08.2018

विषय:- भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवाएं (दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक) अधिनियम 1993 की धारा-2(सी)(i) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना, वायुसेना में किसी में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्ति हुआ हो। आपने अपने आवेदन-पत्र में भूतपूर्व सैनिक अंकित किया है जबकि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं बल्कि आश्रित हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं।

आपने विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत वर्ग-01 पद हेतु भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत आवेदन किया है जिसमें आपने आवेदन-पत्र में यह घोषणा किया है कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा है व मुझे मान्य है, यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। साक्षात्कार के समय भी आप द्वारा यह घोषणा-पत्र भरा गया है कि किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि मैंने किसी असत्य, संदिग्ध एवं भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो मेरा अभ्यर्थन/चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय।

विज्ञापन संख्या-02/2011 प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत पद हेतु आप भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

भवदीय

सचिव

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
इलाहाबाद।